

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

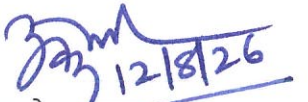
सं. : 5-1(17)/2008-पीडी

दिनांक : 12.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में आदेश के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी दिनांक 09 जुलाई, 2026 के पत्र सं. 14/2/2025-पब्लिक को सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की है।


अमरेन्द्र कुमार
अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न/ : यथोपरि
प्रतिलिपि :

1. सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
2. सी.एस.आई.आर. वेबसाइट
3. कार्यालय प्रति

फा.सं.14/2/2025-पब्लिक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक 09 जुलाई, 2026

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/ सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक;
तथा

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

विषय: भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने या बजाने के संबंध में आदेश ।

महोदया/महोदय,

भारत सरकार ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की प्रतियां, जिनका दृढ़ता से पालन किया जाना है क्रमशः **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक -II** में संलग्न है।

2. इन आदेशों में, उन अवसरों की पूरी सूची दी गई है, जिन पर भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना अनिवार्य है। इसमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है। इन आदेशों में, वे अवसर भी सम्मिलित हैं, जिन पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को दो बार, यानी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन दोनों समय पर गाया या बजाया जाएगा।

इस संदर्भ में, यह भी सूचित किया जाता है कि राष्ट्रगीत (अनुलग्नक -I) से संबंधित आदेशों का पैरा IV (2) यह स्पष्ट करता है कि - **'जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाते हैं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा'**।

3. कुछ राज्यों में, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के साथ-साथ राज्य-गीत भी गाया और बजाया जाता है। यह बताया जाता है कि जब भी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के साथ राज्य-गीत गाया या बजाया जाए, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ गाए या बजाये जाएँ; और पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते या बजाते समय, उनके सही आलेख/पाठ और उच्चारण का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।** सभी अधिकारियों और सर्व-साधारण जनता की सुविधा के लिए, यह बताया जाता है कि-

(a). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही आलेख/पाठ, जैसा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान (अनुलग्नक -I और अनुलग्नक -II) से संबंधित आदेशों में दिया गया है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem> पर उपलब्ध है।

(b). राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही उच्चारण भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mha.gov.in/en/documents/national-flag-emblem-anthem> पर उपलब्ध कराया गया है।

5. यह अनुरोध है कि इस संबंध में आपके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली सभी संबंधित संस्थानों/संगठनों को दृढ़ता से पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

संलग्नक :

1. भारत के राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – I)
2. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश (अनुलग्नक – II)

भवदीय,



(अरविंद खरे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, सेवा तीर्थ, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों का कार्यालय।
6. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां

भारत के राष्ट्रगीत के संबन्ध में आदेश

भारत का राष्ट्रगीत विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है। राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण, एवं उन अवसरों का विवरण जिन पर इस गीत को गाया अथवा बजाया जाए, तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टाचार का पालन करके राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश, जारी किए जा रहे हैं:

1. राष्ट्रगीत – आधिकारिक संस्करण

(1) श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित गीत 'वंदे मातरम्' को 'राष्ट्रगीत' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के बोल इस प्रकार हैं:

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बोलें माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्॥

- (2) राष्ट्रगीत को गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

II. राष्ट्रगीत का वादन

- (1) राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण, निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जाएगा:

- (i) सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर;
- (ii) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर, तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
- (iii) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में;
- (iv) राज्यपाल/उपराज्यपाल के अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
- (v) जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए।

- (2) किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगीत बजाया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

- (3) जब बैंड के साथ राष्ट्रगीत गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्रगीत प्रारम्भ होने वाला है, राष्ट्रगीत शुरू होने से पहले मृदंग बजाये जायेंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रगीत शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं। मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रोल की अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होंगे। रोल धीरे-धीरे आरम्भ होगा, पूरी अवधि तक बढ़ता जाएगा, और इसके पश्चात धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रगीत के आरंभ होने से पहले, एक धुन का अंतराल रहेगा।

III. राष्ट्रगीत का सामूहिक रूप से गायन

(1) निम्नलिखित अवसरों पर, राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण को बजाने के साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जाएगा:

(i) परेडों को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता के इसे सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजर्स) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सकें; तथा जहां आवश्यक हो, राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण की लिखित प्रति, प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जा सकते हैं)।

(ii) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य-समारोहों को छोड़कर) राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी।

(2) उन सभी अवसरों पर, जब राष्ट्रगीत को गाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से गाने में इसके आधिकारिक संस्करण का पाठ ही गाया जायेगा।

(3) उन अवसरों पर, जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर, किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्रगीत का गायन, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ, वांछनीय है।

(4) जिन अवसरों पर, राष्ट्रगीत के गायन की (गीत को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण-सूची देना संभव नहीं है; किन्तु राष्ट्रगीत को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है, जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए, तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

(5) सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्रगीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने, तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV. सामान्य

(1) जब कभी राष्ट्रगीत का गायन अथवा वादन हो, तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार-दर्शन अथवा वृत्त-चित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि खड़े होने से राष्ट्रगीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ सकती है, और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है।

(2) जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा।

भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश

भारत का राष्ट्रगान विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है। राष्ट्रगान के सही रूप, एवं वे अवसर जिस पर राष्ट्रगान गाया अथवा बजाया जाए, तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टता का पालन करके राष्ट्रगान का सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित निर्देश, जारी किए जा रहे हैं:

I- राष्ट्रगान: पूर्ण तथा संक्षिप्त रूप

(1) स्वर्गीय कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के 'जन-गण-मन' नामक गीत के प्रथम पद के शब्द तथा उनके संगीत-विन्यास से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है। इस का पाठ इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

उपर्युक्त पाठ राष्ट्रगान का पूर्ण रूप है; और इसे गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 52 सेकंड है।

(2) कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान की पहली तथा अंतिम पंक्तियों का संक्षिप्त पाठ भी गाया अथवा बजाया जाता है। इसका पाठ इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत-भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।

संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है।

(3) जिन अवसरों पर राष्ट्रगान का पूर्ण अथवा संक्षिप्त पाठ गाया जायेगा, उनका संकेत इन अनुदेशों में समुचित स्थलों पर कर दिया गया है।

॥ - राष्ट्रगान का वादन

(1) राष्ट्रगान का पूरा पाठ निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जायेगा :

- (i) सिविल तथा सैनिक सम्मान समारोहों के अवसर पर ;
- (ii) जब राष्ट्रीय सैल्यूट (जिसका तात्पर्य है 'राष्ट्रीय सलामी-सलामी शस्त्र' का आदेश जो राष्ट्रगान के साथ ही दिया जाता है) समारोहों के अवसरों पर राष्ट्रपति को या अपने-अपने राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में राज्यपाल और उप-राज्यपाल को दिया जाता है;
- (iii) परेडों के समय चाहे उपर्युक्त (ii) में बताए गए गणमान्य व्यक्तियों में से कोई उपस्थित हो या न हो;
- (iv) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों और मेस समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय;
- (v) आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से ठीक पहले और बाद में;
- (vi) राज्यपाल / उपराज्यपाल के अपने राज्य / संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय ;
- (vii) जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए;
- (viii) जब रेजीमेंट को निशान प्रस्तुत किए जाएं;
- (ix) नौ सेना में ध्वजारोहण के समय ।

(2) राष्ट्रगान का संक्षिप्त पाठ मेसों में किसी के सम्मान में पेय पान करते समय बजाया जायेगा।

(3) किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगान बजाया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों।

(4) सामान्यतः प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रगान नहीं बजाया जायेगा, तथापि विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के लिए भी इसे बजाया जा सकता है।

(5) जब बैंड के साथ राष्ट्रगान गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्रगान प्रारम्भ होने वाली है, राष्ट्रगान शुरू होने से पहले मृदंग बजाए जाएंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रगान शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं, अथवा जब कि राष्ट्रगान के साथ पेय पान किया जाता है अथवा जब राष्ट्रगान गार्ड आफ आनर द्वारा दी गई राष्ट्रीय सलामी के साथ होता है। मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रेल की अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होंगे। रोल धीरे-धीरे आरम्भ होगा, पूरी अवधि तक बढ़ता जाएगा और इसके पश्चात धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रगान के आरम्भ होने से पहले, एक धुन का अन्तराल रहेगा।

III- राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गायन

(1) निम्नलिखित अवसरों पर, राष्ट्रगान के पूरे पाठ को बजाने के साथ-साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जायेगा :

(i) परेडों को छोड़कर, अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनता के इसे सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजर्स) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सके)।

(ii) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य समारोहों तथा मेसों के समारोहों को छोड़कर), राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी।

(2) उन सभी अवसरों पर जब राष्ट्रगान को गाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से गाने के साथ इसका पूरा पाठ गाया जायेगा।

(3) उन अवसरों पर जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रगान गाया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्रगान का गायन, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ वांछनीय है।

(4) जिन अवसरों पर राष्ट्रगान के गायन की (गान को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण-सूची देना संभव नहीं है; किन्तु राष्ट्रगान को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नहीं है, जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए, तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए।

(5) सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्रगान के सहगान से प्रारम्भ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने तथा राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV - विदेशों के राष्ट्रगानों का वादन

(1) भारत में विदेशी पदाधिकारियों के जिन स्वागत समारोहों में राष्ट्रीय अभिनंदन करने का विधान है, उनमें आगंतुक विदेशी उच्च पदाधिकारियों के देश के राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ पहले बजाया जाना चाहिए और उसके बाद भारत के राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ।

(2) भारत स्थित किसी विदेशी राजदूत अथवा कान्सुल प्रतिनिधि द्वारा आयोजित नाटक, फिल्म अथवा सांस्कृतिक उत्सवों पर संबद्ध देश का राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रगान के साथ बजाया जा सकता है। विदेशी राष्ट्रगान पहले बजाना चाहिए, और उसके तत्काल बाद भारत का राष्ट्रगान।

(3) विदेशी राजदूतावासों द्वारा उनके राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आयोजित समारोहों में आयोजक देश का राष्ट्रगान बजाया या गाया जा सकता है। इन अवसरों पर, यदि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर से नीचे के न हों अथवा समारोह दिल्ली में होने की स्थिति में यदि प्रतिनिधित्व दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो भारत का राष्ट्रगान पहले बजाया जाएगा, और इसके तुरन्त बाद आयोजक राष्ट्र का राष्ट्रगान बजाया जायेगा। यह प्रक्रिया उन समारोहों के अवसर पर भी अपनाई जाएगी, जिसमें राज्याध्यक्षों को टोस्ट प्रस्तावित करना हो अर्थात् भारत का राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रपति को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा, और विदेशी देश का राष्ट्रगान उक्त देश के राज्याध्यक्ष को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा। अगर समारोह के प्रारम्भ में भारत और आयोजक देश के राष्ट्रगान बजाए जा चुके हैं, तो किसी प्रकार के टोस्ट प्रस्तावित करने की स्थिति में किसी एक अथवा दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाने की आवश्यकता नहीं है।

नोट - विदेशी राष्ट्रगान के ठीक पहले या बाद में जब राष्ट्रगान बजाया जाना अपेक्षित हो जैसा कि उपर्युक्त भाग IV में निर्धारित है, तो राष्ट्रगान साथ-साथ नहीं गाया जाना चाहिए। यदि देशों में आने वाला गणमान्य व्यक्ति और उसका शिष्ट-मंडल अपना राष्ट्रगान गा रहे हों तथा राष्ट्रगान दूसरे देश के राष्ट्रगान के तत्काल पहले या बाद में बजाया जाता है तो राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गाया जाना अपेक्षित है।

V - सामान्य

(1) जब कभी राष्ट्रगान का गायन अथवा वादन हो, तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार-दर्शन अथवा वृत्त-चित्र के दौरान राष्ट्रगान फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि खड़े होने से राष्ट्रगान के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ सकती है, और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है।

(2) राष्ट्रीय ध्वज के फहराए जाने की तरह, यह भी लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे राष्ट्रगान को मनमाने ढंग से न गाएं-बजाएं।
